

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:-03/2013

जीसीएमएस नं. 2013/00501

दायर दिनांक:-04.01.2013

1. श्यामसिंह पुत्र कलुआ बगै० जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

-----वादीगण-4

## बनाम

1. सुरेश पुत्र रामसहाय बगै० जाति जॉगिड निवासी केयर ऑफ मूलचन्द भारती मोहन नगर हिण्डौनसिटी

-----प्रतिवादीगण-12

## दावा बावत् इस्तकरारहक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

- उपस्थित - 1. श्री अशोक नीमनका वकील वादीगण  
2. श्री संजय शर्मा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 25.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये वकील खिलाफ प्रतिवादीगण दावा बावत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत पेश किया गया। प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गई आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं प्रकरण दिनांक 11.02.2021 से कायम मुकाम दरखास्त में विचाराधीन चल रहा है, जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं अतः मुकदमा नं० 03/2013 दावा श्यामसिंह बगै० बनाम सुरेश बगै० अदम हाजरी व अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2024 में खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन